

विचार बिन्दु

समस्त महान गलतियों की तह में अभिमान ही होता है। —रस्किन

राज के दो साल : भजनलाल सरकार के विश्वास और विकास का लेखा-जोखा



जोगाराम पटेल

राज्य के शासन-प्रशासन का वास्तविक मूल्यांकन उसकी नितियों और निर्णय से आम नागरिक के जीवन में मिलने वाली प्रत्यक्ष राहत और सुविधाओं से किया जा सकता है। राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित सेवा शिविर इस कसौटी पर खरे उतरते दिखाई देते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में शुरू हुई यह पहल केवल एक प्रशासनिक गतिविधि नहीं, बल्कि सुशासन को जमीन पर उतारने का सशक्त माध्यम है। यहां सरकार दफ्तरों की चारदीवारी से बाहर निकलकर स्वयं जनता के द्वार तक पहुंच रही है।

सेवा शिविरों का उद्देश्य प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक शासन और सुविधा की पहुंच सुनिश्चित करना है। वर्षों से यह शिकायत रही कि सरकारी योजनाएं और सेवाएं फाइलों, प्रक्रियाओं और दफ्तरों के बीच उलझकर रह जाती हैं। सेवाशिविरों ने इस मानसिकता को तोड़ा है। यह एक ऐसा मंच बनकर उभरा है,

जहां प्रशासन, योजनाएं और समाधान एक ही स्थान पर उपलब्ध हैं। यह बदलाव अपने आप में सुशासन की परिभाषा को नया आयाम देता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर इन शिविरों की शुरुआत की गई। इससे यह अभियान सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की व्यापक राष्ट्रीय सोच से जुड़ गया। यह केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि वैचारिक निरंतरता का संकेत है, जहां केंद्र और राज्य, दोनों स्तरों पर शासन का लक्ष्य अंत्योदय है।

सेवा शिविरों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां 18 विभागों की सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जा रही हैं। पहले जिस कार्य के लिए आम नागरिक को कई विभागों और दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वही काम अब शिविर स्थल पर कुछ ही घंटों में पूरा हो रहा है। नामांतरण, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जन आधार, भू-राजस्व शुद्धिकरण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, बिजली-पानी

से जुड़ी शिकायतें आदि सभी सेवाएं अब कतार, फाइल और देरी से मुक्त होकर त्वरित समाधान का रूप ले चुकी हैं। अब तक 2 लाख से अधिक जाति प्रमाण पत्र, 1.72 लाख मूल निवास प्रमाण पत्र, 1.53 लाख भू-राजस्व शुद्धिकरण प्रकरण और 1.24 लाख नामांतरण मामलों का निस्तारण किया जा चुका है। ये आंकड़े आम नागरिक के समय, श्रम और सम्मान की बचत का प्रमाण हैं।

ग्रामीण सेवा शिविर: पंचायत
शहरी सेवा शिविर: सुविधा के साथ सौंदर्य
शहरी क्षेत्रों में सेवा शिविर केवल प्रमाण पत्र और आवेदन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि शहरी ढांचे में प्रत्यक्ष सुधार का माध्यम भी बन रहे हैं। सड़कों की मरम्मत, नालियों की सफाई, स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत और नई लाइट्स का स्थापना जैसे कार्य शिविरों के साथ-

साथ किए जा रहे हैं।

नगर निकायों में जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण, भवन निर्माण स्वीकृति, लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टों का निस्तारण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के आवेदन आदि कार्य भी इन्हीं शिविरों में किए रहे हैं। अब तक 1.9५ लाख से अधिक पट्टों का वितरण, 1.42 लाख नई स्ट्रीट लाइट्स की स्थापना, 1.98 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रकरणों का निस्तारण और 1.48 लाख जनधन खातों का संचालन किया जा चुका है। यह दर्शाता है कि शहरी सेवा शिविर प्रशासनिक सुविधा के साथ-साथ जीवन गुणवत्ता सुधार का भी माध्यम बन चुके हैं।

सेवा शिविरों का एक महत्वपूर्ण पक्ष स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार है। शिविरों के माध्यम से 24.36 लाख मरीजों का उपचार, 1०,77 लाख लोगों की टीबी व पनसीडी स्क्रीनिंग और 17 लाख किशोरियों व गर्भवती महिलाओं की एनीमिया जांच की जा चुकी है।

खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर 95,800 से अधिक आवेदन स्वीकृत, जन आधार योजना में 1.13 लाख लाभार्थी, 25 हजार स्वनिधि ऋण और 75,6०0 वय वंदन कार्ड जारी होना इस बात का प्रमाण है कि सामाजिक सुरक्षा अब कामजों तक सीमित नहीं रही। इन शिविरों का सबसे बड़ा प्रभाव जन विश्वास की पुनर्स्थापना के रूप में सामने आया है। वर्षों से लंबित नामांतरण, प्रमाण पत्र या बिजली बिल से जुड़ी समस्याएं अब कुछ घंटों में सुलझ रही हैं। इससे न केवल जनता का सरकार पर भरोसा बढ़ा

है, बल्कि प्रशासनिक इकाइयों की कार्यकुशलता और जवाबदेही भी मजबूत हुई है।

नगरीय निकायों में दी गई विशेष रियायतें जैसे बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा करने पर 1०0 प्रतिशत ब्याज माफी से हजारों परिवारों और व्यापारियों के लिए सौधी राहत है। यह दिखाता है कि सरकार नगरियों के साथ-साथ संवेदनशीलता को भी उतना ही महत्व दे रही है।

सेवा शिविर आज पारदर्शिता, सरलता, जवाबदेही और नागरिक सहभागिता का संयुक्त उदाहरण बन चुके हैं। घोषणाओं के साथ-साथ उनके क्रियान्वयन की सतत निगरानी और मूल्यांकन यह सुनिश्चित करता है कि यह पहल केवल आयोजन न बनकर रह जाए, बल्कि स्थायी प्रशासनिक सुधार का माध्यम बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की यह सोच कि अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति भी शासन का केंद्र हो, सेवा शिविरों के माध्यम से साकार होती दिखाई दे रही है। यह पहल बताती है कि जब राजनीतिक संकल्प और प्रशासनिक इच्छाशक्ति एक दिशा में काम करें, तो सुशासन केवल नारा नहीं, बल्कि जन-जीवन का अनुभव बन जाता है। सेवा शिविर वास्तव में यह संदेश दे रहे हैं कि सरकार अब दरवाजे पर दस्तक देने वाली संस्था बन चुकी है और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी सफलता है।

संसदीय कार्य, विधि एवं न्यायिक कार्य मंत्री

महाभियोग को बनाया दबाव बनाने और प्रतिशोध का एक साधन

मुख्यमंत्री की सोच है कि रोजमर्रा के कार्यों के लिए सरकार और आमजन के बीच आपसी संवाद को और आसान कैसे बनाया जाये, इसके लिए अधिक तत्परता व सजगता से काम करना होगा। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सुशासन के महत्वपूर्ण स्तम्भ हैं। इन मूलभूत सुविधाओं व आर्थिक विकास के माध्यम से सामाजिक विकास के सभी को एक जुट होकर प्रयास करने की जरूरत है तभी मुस्कुराते राजस्थान का हमारा सपना साकार होगा।

सिंचाई, पेयजल, जल संसाधन, नगरीय विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास कार्य किये। सरकार का दावा है कि हम जनता के सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं और प्रदेश के विकास का पहिया बिना रुके, बिना थमे आगे बढ़ रहा है। चुनाव के समय जनता से किए गए 392 संकल्पों में से 274 या तो पूरे किए जा चुके हैं या प्रगति पर हैं। प्रदेश ने पिछले दो वर्षों में विकास के हर क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। साथ ही मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश में विकास की गति तेज हुई है और विकास के संकेतकों में भी सकारात्मक सुधार हुआ है। मुख्यमंत्री की सोच है कि रोजमर्रा के कार्यों के लिए सरकार और आमजन के बीच आपसी संवाद को और आसान कैसे बनाया जाये, इसके लिए अधिक तत्परता व सजगता से काम करना होगा। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सुशासन के महत्वपूर्ण स्तम्भ हैं। इन मूलभूत सुविधाओं व आर्थिक विकास के माध्यम से सामाजिक विकास के सभी को एक जुट होकर प्रयास करने की जरूरत है तभी मुस्कुराते राजस्थान का हमारा सपना साकार होगा। आमजन से जो काम पांच साल में पूरे करने का वादा किया था, उनमें से 7० प्रतिशत कार्य दो वर्ष में ही कर चुके हैं। दो वर्षों की बजट घोषणाओं में से 7३ प्रतिशत घोषणाएं या तो पूर्ण हो चुकी हैं या प्रगतिरत हैं। सरकार के दावे के विपरीत विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने 2 साल में कुछ नहीं किया जिससे हर वर्ग दुखी और परेशान है। कानून व्यवस्था छिन्न-भिन्न है। रोजगार देने का वादा पूरा नहीं हुआ है। आमजन बेहाल है ऐसे में खुशहाली की बात करना जनता के जख्मों पर नमक छिड़कना है। कांग्रेस ने भजनलाल सरकार को पचीं सरकार घोषित किया मगर इसी पचीं सरकार ने दो साल में राजस्थान को अग्रिम पंक्ति का राज्य बनाने के लिए न केवल नीतिगत सुधारों की पहल की अपितु आम नागरिक के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए समर्पित भाव से प्रयास किए हैं।

साफ सुथरी छवि और ईमानदार नेता
मुख्यमंत्री भजनलाल की छवि एक साफ-सुथरे, मेहनती, समर्पित और ईमानदार नेता की है। जो कुछ कर गुजरने की तमन्ना के साथ प्रदेश के विकास में जुटे हैं। आम आदमी की सोच है प्रदेश के बहुमुखी विकास में भ्रष्टाचार, लालफीताशाही और कुशासन प्रगति और विकास के दुश्मन के रूप में उभरें हैं। जब तक इन पर काबू नहीं पाया जायेगा तब तक विकास और प्रगति एकांगी होगी। हर सरकार लोक कल्याण का वादा करती है मगर लोक कल्याण के मार्ग में अवरोध बने इन कारकों को समाप्त करने की दिशा में कोई ठोस कारवाही नहीं करती। चूँकि राजनेताओं के हित इनसे जुड़े है इसलिए इन बुराइयों को समाप्त नहीं किया जा सकता। जब तक समाज से यह बीमारी पूरी तरह खत्म नहीं होगी, हम भ्रष्टाचार की गंगा में गोते लगते रहेंगे। भ्रष्टाचार आज भी समाज को खोखला कर रहा है। इस नेतरणी में सभी अपने हाथ धोना चाहते है। ऐसा लगता है राजस्थान में भ्रष्ट कर्मियों से अपना नापाक गठजोड़ स्थापित कर लिया है।जन प्रतिनिधियों और सरकारी कारिदों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के प्रकरणों का खुलासा आये दिन मीडिया में सुर्खियों में पढ़ने को मिल जाता है। जनता के खुर पसीने की कमाई को हड़प करने का जरिया भ्रष्टाचारियों ने अपना लिया है। सच तो यह है कि भ्रष्टाचार ने अपना दामन चहुँओर फैला रखा है। राजस्व, तहसील, कलेक्ट्रेट, जेडीए, स्थानीय निकाय, सिंचाई, जलदाय, रसद, सड़क, पंजीयन जैसे दर्जनों कार्यालय हैं जहां बिना सुविधा शुल्क के कोई काम नहीं होता। जब तक मुद्दे गम न की जाए तब तक कोई काम ही नहीं होता। भ्रष्टाचार एक संचारी बीमारी की पाँति इतनी तेजी से फैल रहा है कि लोगों को अपना भविष्य अंधकार से भरा नजर आने लगा है। वर्तमान में केंद्र और राज्य दोनों में ही एक ही पार्टी की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भ्रष्टाचार को जड़मूल से समाप्त करना चाहते हैं। ऐसे में प्रदेशवासियों की आकांक्षा के अनुरूप मुख्यमंत्री भजनलाल अपनी पूरी ताकत से भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष कर जनता को राहत प्रदान करें।

—**अतिथि संपादक, बालमुकुन्द ओझा, वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार**

राशिकल

गुरुवार 18 दिसम्बर, 2025
पौष मास, कृष्ण पक्ष, चतुरदशी तिथि, गुरुवार, विक्रम संवत् 2०82, अनुराधा नक्षत्र रात्रि 8:०7 तक, धृति योग दिन 3:०6 तक, विष्टि करण दिन 3:46 तक, चन्द्रमा आज वृश्चिक राशि में संचार करेगा। ग्रह स्थिति: सूर्य-धनु, चन्द्रमा-वृश्चिक, मंगल-धनु, बुध-वृश्चिक, गुरू-मिथुन, शुक्र-वृश्चिक, शनि-मौन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में। आज सर्वार्थसिद्धि योग रात्रि 8:०7 तक है। भद्रा दिन 3:46 तक रहेगी। आज मास शिवरात्रि, श्री जय प्रभु विजय पुण्य त्रिस्तुतिक है। श्रेष्ठ चौघडिया: शुभ सूर्योदय से 8:31 तक, चर 11:०6 से 12:23 तक, लाभ-अमृत 12:23 से 2:58 तक, शुभ 4:15 से सूर्यास्त तक। राहुकाल: 1:3० से 3:०0 तक। सूर्योदय 7:14, सूर्यास्त 5:32 तक

मेघ
चन्द्रमा अमघ भाव में शुभ नहीं है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।

तुला
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। अटक हुआ धन प्राप्त होगा। नौकरपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है।

वृष
परिवार में आपसी सहयोग से महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं। व्यावसायिक आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

वृश्चिक
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। महत्वपूर्ण कार्य अनुरानुसार बनने लगेंगे। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन
स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।

धनु
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। मन में असंतोष बना रहेगा। अनल कार्यों में समय खराब हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

कर्क
परिजनों के व्यवहार के कारण मन खिन्न हो सकता है। आवश्यक और महत्वपूर्ण मामलों में दुविधा बनी रहेगी। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

मकर
आर्थिक/वित्तीय मामलों में संतुलन बना रहेगा। संभावित खोस से घन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। घर-गृहस्थी के खर्चों पर नियंत्रण बढ़ेगा।

सिंह
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। अतिथियों के आगमन से दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो सकती है। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

कुंभ
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे।

कन्या
व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक बातों सफल रहेगी। आर्थिक मामलों में परिचितों से सहयोग मिल सकता है। मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे।

मीन
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



सूर्यप्रतापसिंह राजावत

आज भारत राजनीति में गिरावट, राजनीतिक पार्टियों में संवैधानिक नैतिकता के पतन और भारत के लोगों के प्रतिनिधियों के पतन का गवाह बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किए बिना 1०0 सांसदों द्वारा मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाना, भारत के संविधान में अविश्वास, न्यायपालिका में भरोसे की कमी और लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ, न्यायपालिका को धमकाने और प्रतिशोध लेने का एक हथियार बनाया है।

यह मामला अरुलमिघु सुब्रमण्य स्वामी मंदिर के प्रबंधन और दरगाह प्रबंधन समिति के बीच है। मूल रूप

से यह मुद्दा संपत्ति जो कि थिरुप्परकुंद्रण पहाड़ी पर स्थित है पर नागरिक अधिकारों से संबंधित है, जिस पर 1923 में ही प्रिवी काउंसिल द्वारा घोषणा और निषेधाज्ञा का मुकदमा निर्णितहोगयाथा । मद्रास उच्च न्यायालय ने1996 के आदेश में मुस्लिम समुदाय की सीमांकित भूमि से कम से कम 15 मीटर की दूरी पर दीपक जलाने की अनुमति दी गई है। 2005 में शांति समिति के प्रस्ताव में भी इसे मान्यता दी गई थी। चूंकि यह मुद्दा अरुलमिघु सुब्रमण्य स्वामी मंदिर के प्रबंधन और दरगाह प्रबंधन समिति के बीच है, इसलिए जो एक पक्ष के लिए पवित्र और पावन है, वह दूसरे पक्ष के लिए समान नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए, अक्टूबर 2०25 में उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से दरगाह में पशु बलि के प्रयास पर रोक लगा दी गई थी।

याचिका में बताई गई घटनाओं का क्रम, भारत में आपसी भाईचारे के लिए कुछ बातें एकदम साफ़ कर देता है कि दोनों समुदायों को शांति से साथ चाहिए, लेकिन नागरिक अधिकारों की कुर्बानी की कीमत पर नहीं। संवैधानिक नैतिकता के दायरे में सांप्रदायिक सद्भाव के नाम पर रीति-रिवाजों और परंपराओं से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण पहलू इसमें शामिल है, वह

है भक्तों की भूमिका और कर्तव्य, जहाँ धार्मिक संस्था के ट्रस्टी वैध पारंपरिक प्रथाओं को निभाने और संरक्षित करने में विफल रहते हैं। यह रित याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत मंदिर के प्रबंधन को निर्देश देने के लिए दायर की गई थी कि वे दीपाधून नामक पत्थर के मंदिर के खंभे पर कार्तिगई दीपम जलाएँ जोकि दरगाह से 5० मीटर दूर स्थित है और न्यायिक आदेश की अनुमति से तीन गुना दूर है। याचिकाकर्ता ने मंदिर प्रबंधन के कार्तिगई दीपम को अलग जगह पर जलाने के निर्देशों को चुनौती दी। याचिकाकर्ता की प्रार्थना को लोकस स्टैंडी, रेस ज्यूडिकाटा, पूजा स्थल अधिनियम जैसी आपत्तियों पर सम्पूर्ण विचार करने के बाद स्वीकार कर लिया गया। कोर्ट ने मंदिर प्रबंधन/देवस्थानम को निर्देश दिया कि वे सामान्य स्थानों के अलावा दीपाधून पर भी कार्तिगई दीपम जलाएँ और पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि इस कोर्ट के निर्देशों का पालन किया जाए। लेकिन कोर्ट के निर्देशों का पालन केवल अवमानना याचिका दायर करने और कोर्ट द्वारा सीआईएसएफ कर्मियों की टीम को याचिकाकर्ता और उसके दस साथियों को सुरक्षा प्रदान करने और कोर्ट के आदेश को लागू करने के

निर्देश देने के बाद ही किया गया।यह बताना जरूरी है कि दरगाह कमेटी ने उस आदेश के खिलाफ अपील दायर नहीं की है जिसे लागू किया जाना है। राज्य सरकार ने विवादित आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। भक्त याचिकाकर्ता ने खुद दीपक जलाने का दावा नहीं किया था, बल्कि वह चाहता था कि मंदिर ट्रस्ट उन परंपराओं को बनाए रखे जो प्रागैतिहासिक काल से जुड़ी हैं। जब मंदिर ट्रस्ट ने आदेशों का पालन नहीं किया, तब सांप्रदायिक सद्भाव को ध्यान में रखते हुए केवल दस लोगों को दीपक जलाने की अनुमति दी गई, जो दरगाह से तयशुदा दूरी से तीन गुणा दूरी पर है। घटनाओं को देखते हुए कई सवाल खड़े होते हैं, यह भारत के संविधान की योजना, आलोक्य आदेश के खिलाफ लंबित अपील, साथ ही हाई कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए सरकारी कर्मचारियों के संवैधानिक और वैधानिक कर्तव्य अनोत्पत्ता, केंद्र सरकार की सीआईएसएफ एजेंसी ने आदेश का पालन करवाया, जिससे कानून के शासन को बनाए रखा गया।

तमिलनाडु राज्य का यह अवज्ञापूर्ण कार्य तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा संविधान की गरिमा को बनाए रखने के लिए ली गई शपथ के अक्षर और भावना का उल्लंघन है।

यह इस बात पर भी जोर देता है कि राज्य का नौकरशाही तंत्र न्यायपालिका के कानूनी आदेशों और उच्च अधिकारों के अवैध आदेशों और उनके परिणामों के बीच अंतर को समझने में विफल रहा। यह संविधान के प्रति अनदार और राजनीतिक दलों की हाताश का दर्शाता है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट मेंलंबित आदेश पर अंतिम फैसले का इंतजार किए बिना महाभियोग प्रस्ताव का विकल्प चुना। निष्कर्ष के तौर पर, यह देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है जहाँ एक राजनीतिक विचारधारा संवैधानिक अदालत द्वारा न्यायिक फैसले पर असंतोष व्यक्त करती है, उस जज पर दुराचार और अक्षमता का आरोप लगाया जो भारत के संविधान के दायरे में फैसला सुनाता है। यह कहना कि यह विवाद धार्मिक प्रकृति का है, गुमराह करने वाला है। इसका इस्तेमाल मीडिया में अफवाहें फैलाने और वोट बैंक को खुश करने के लिए एक हथियार के तौर पर किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष को महाभियोग प्रस्ताव पर संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह प्रस्ताव न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संवैधानिक लोकतंत्र का उल्लंघन है।

सूर्यप्रतापसिंह राजावत
अधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर

जाटोली गांव में घटिया सीसी सड़क निर्माण से जलभराव, ग्रामीण परेशान

ग्रामीणों ने ठेकेदार पर मनमानी का आरोप लगाया, घरों में घुसता है बारिश का पानी

अलवर, (निस)। जाटोली में नवनिर्मित सीसी सड़क में अनियमितताओं के कारण जलभराव

की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सड़क की अत्यधिक ऊंचाई और घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग से बारिश का पानी ग्रामीणों के घरों में घुस गया है, जिससे आवागमन भी बाधित हुआ है।

गांव निवासी राकेश कुमार गौतम ने बताया कि ठेकेदार द्वारा निर्मित सड़क की डिज़ाइन और

■ **आरोप है कि ठेकेदार द्वारा निर्मित सड़क की डिज़ाइन व गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं है**

■ **ग्रामीणों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर दोषी ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की**

गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं है। सड़क की अधिक ऊंचाई के कारण पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, जिससे घरों में पानी भर रहा है और

ग्रामीणों को नुकसान हो रहा है। जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने से स्कूली बच्चों, पैदल राहगीरों और बुजुर्गों को आवाजाही में कठिनाई हो

रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि यह निर्माण कार्य पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ है, जिसमें निष्पक्ष मानकों और शर्तों की अनदेखी की गई है।

ग्रामीणों के अनुसार, सरकारी सड़क निर्माण परियोजनाओं में जल निकासी, ऊंचाई और गुणवत्ता संबंधी स्पष्ट दिशा-निर्देश होते हैं। हालांकि, ठेकेदार ने कथित तौर पर निजी लाभ

के लिए इन शर्तों की अनदेखी की, जिसका खामियाजा पूरे गांव को भुगतना पड़ रहा है। इस मामले को लेकर जाटोली गांव में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर दोषी ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने सड़क निर्माण को दोबारा सही मानकों के अनुसार कराने की भी अपील की है।